interest on Rs. 25,00 would be very negligible compared to that. Secondly, our information is that most deposits in educational or training institutions, where they are refundable, carry no interest

SHRI D. K. PANDA: Is there any guarantee that, after the training period is over, the trainee will be given an appointment, and if not, may I know whether, in certain cases at least where the period is extended even beyond eight years, Government is going to pay interest or not?

SHRI H M TRIVEDI: Firstly, when the training is complete, he is assured of a job on the Shipping Corporation vessel or any other Indian vessel

SHRI D K. PANDA: In certain cases they are not being appointed because they are being offered very low salary and therefore, they are going outside. They should be paid a reasonable salary when the job is offered to them after the completion of the training period

SHRI H M TRIVEDI: The emoluments of Deck officers on the Indian flag ships are determined by bilateral negotiations between the Maritime Union of India and the Indian National Ship Owners Association.

SHRI INDRAJIT GUPTA: In spite of the bilateral negotiations, the fact remains that the emoluments of the corresponding categories of merchant marine officers are much lower on Indian ships than on foreign ships. I would like to know, whether after this period of training, there is any scheme to ensure that these trained officers will continue to serve on Indian ships whether it be Shipping Corporation or any other Indian line, rather than be lured away by the prospect of higher emoluments by foreign shipping lines. I think, the Minister knows well that the Indian Merchant Marine is suffering of acute shortage of officers precisely because they have been drained away to other shipping lines.

SHRI H. M. TRIVEDI: Factually, it is true that trained officers are being attracted to foreign flag vessels by higher emoluments It is for this reason that only about four months back, the Maritime Union of India negotiate with the ship owners a higher level of wages for Indian officers.

खानों से संबंधित अनिर्णीत मामले और अपीलें

*515 श्री मूल चन्द डागा: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों से सम्बन्धित कितने मामले और अपीलें पुनर्विचार किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हुई है, और

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHADEV PRASAD): (a) and (b) Special steps have already been enforced for some time so as to expedite disposal of revision petitions under the Mineral Concession Rules 1960. The number of such petitions pendng on 1-4-75 was 1318|885 new cases were instituted during the year 1975-76 Due to disposal during the year having increased to 1328, the number of total pending cases as on 1-4-76 has already reduced sharply to 875

श्री मूल चन्द डागा : मिनरल कन्सैशल रूल्ज, 1960 के अन्तर्गत 1328 कैसेज पैन्डिग थे। मैं जानना चाहता हूं कि ये कितने सालों से पैन्डिग थे, इन मे दस साल पुराने कितने केसैज थे, 5 साल पुराने कितने थे और तीन साल पुराने कितने कैसेज थे :

इस्पात और खान मंत्री (श्री जगजीवन यादव) : यह संख्या बतलाना इस वक्त सम्भव नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो बाद में दे दूंगा। लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं इस बात का प्रयास हो रहा है कि इन कैसेज को जल्द से जल्द निबटाया जाय। आप ने हमारी फिगर्स देखी होंगी, पिछले साल के मुकाबले इस साल दुगने कैसेज का डिस्पोजल हुआ है। इस बात की हिदायत दी गई है कि इन तमाम कैसेज को जल्द से जल्द डिस्पोजल किया जाय। कठिनाई यह है कि राज्य सरकारों से कमैन्ट्स मांगनी पड़ती है, उस के बाद पार्टीज से भी समीक्षा मांगनी पड़ती है इस में काफी देर लग जाती है। इस के लिये भी हम रास्ता निकाल रहे है, रूल्ज आफ प्रोसिजर को सिम्लीफाई किया जा रहा है ताकि डिस्पोजल जल्द हो सके।

श्री मूलचन्द डागा : मिनरल कन्सेशन रूल्ज के अन्तर्गत आप रिवीजन पैटीशन पर कितने पीरियड में डिसीजन लेते हैं ?

श्री जगजीवन यादव . इस के लिये कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन तीन महीने का समय राज्य सरकार को दिया जाता है, जिस में वे अपनी कमेन्ट्स भेज सकें। लेकिन आमतौर से राज्य सरकारें उतने समय में अपने कमेन्ट्स नहीं भेज पाती। हालांकी नियम यह है कि यदि कोई पार्टी अपनी समीक्षा न दे तो एक्स पार्टे फैसला किया जा सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ठीक से न्याय हो सके, उस में समय बढ़ाना पड़ता है। फिर भी कोशिश यही है कि कैसेज को जल्द से जल्द निबटाया जाय।

सरदार स्वर्ण सिंह सोढी : मंत्री जी ने बतलाया कि स्टेट्स से कमेन्टस मंगाई जाती है, उस के बाद फैसला किया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हू अभी हाल में सिंघभूम डिस्ट्रक्ट के एक प्राईवेट मौनर की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने एलाऊ किया था। इस केस में आप ने बिहार सरकार से कमेन्टस मांगा था, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वह अपील गवर्नमेन्ट हार गई। ऐसे कैसेज में आप क्या करने जा रहे है ?

श्री जगजीवन यादव : यह तो हर नागरिक का अधिकार है, वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और जो फैसला वहा होता है उस को मानना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, वह मानना पड़ेगा इस में दो राये नहीं है।

Mr. Varkey George—absent. Choudhary Nitiraj Singh—absent.

Mr. Bhogendra Jha—also absent.

Mr. Eswra Reddy—also not here.

Now, the Question List is over. I will now take up the second round.

Mr. Chandrappan.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: *rose.*

MR. SPEAKER: You have no authorisation from him. So you cannot put the question.

Mr. Raghunandan Lal Bhatia—absent. Shri Shankar Dayal Singh. Shri P. Gangadeb. None of them is here.